रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2017/ पौष 14, 1938
No. 05] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2017/PAUSA 14, 1938

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद

अधिसूचना

अध्यादेश

अहमदाबाद, 4 जनवरी, 2017

सीनेट सं. -12/08/2016.—राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 31 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, सीनेट ने 24 मई, 2016 और 12 अगस्त 2016 को: हुई अपनी बैठकों में संकल्प लिया और संस्थान के अद्यादेश बनाए जिन पर उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के निबंधनों के संदर्भ में शासी परिषद द्वारा 26 मई 2016 को हुई अपनी बैठक में विचार किया गया तथा 13 से 16 अगस्त 2016 के दौरान परिषद के सदस्यों के मध्य परिचालित किया गया।

अत: अब राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम 2014 की धारा 31 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्थान की सीनेट द्वारा संकल्प किया गया और राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद के लिए निम्नलिखित अध्यादेश बनाते हैं, अर्थात :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(1) इन अध्यादेशों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अध्यादेश 2016 है

(2) ये अध्यादेश 12 अगस्त, 2016 अर्थात सीनेट की बैठक में संकल्प के पारित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं - इन अध्यादेशों में, जब तक कि संदर्भ की दृष्टि से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

क. 'अधिनियम' का अर्थ राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) है;

ख. 'शैक्षिक' से शिक्षण, अध्ययन और अनुसंधान से संबंधित गतिविधियां अभिप्रेत है;

ग. 'अकादमिक कैलेंडर' में विभिन्न शैक्षणिक क्रियाकलापों की तारीखें सम्मिलित हैं;

घ. 'शैक्षिक मैनुअल से अकादमिक मामलों के नियमों और विनियमों का संकलन अभिप्रेत है।

ङ. 'शैक्षिक कार्यक्रम' में के लिए अग्रणी शैक्षणिक क्रियाकलापों के अनुक्रम सम्मलित हैं; जिसके परिणामस्वरूप एक डिग्री, डिप्लोमा या एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता;

(च) 'शैक्षिक वर्ष' से ग्रीष्मावकाश के साथ-साथ दो नियमित सेमेस्टर अभिप्रेत है।

(छ) 'अभ्यर्थी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संस्थान के किसी भी स्नातक, स्नातकोत्तर, डाक्टोरल, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करता है;

(ज) 'प्रमाणपत्र' से सीनेट द्वारा यथा अनुमोदित एक वर्ष तक की अवधि का संस्थान द्वारा प्रस्तावित कोई शैक्षणिक कार्यक्रम अभिप्रेत है;

(झ) 'दीक्षांत' से संस्थान का दीक्षांत समारोह अभिप्रेत है;

(ञ) 'पाठ्यक्रम' में विषयों के क्रम जो एक सेमेस्टर के दौरान पूरे किए जा सकते है; सम्मिलित है;

(ट) 'कार्यक्रम की पाठ्यचर्या' से निहित पाठ्यक्रमों का समूह और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां अभिप्रेत हैं;

(ठ) 'उपाधि' से डिज़ाइन में स्नातक की उपाधि, डिज़ाइन में स्नातकोत्तर की उपाधि, और संस्थान की ऐसी अन्य उपाधियाँ जो शासी परिषद द्वारा अनुमोदित हों, अभिप्रेत है
शैक्षणिक सलाहकार समिति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित कोई अन्य डिग्री।

(ड) 'चयनात्मक' से विशेषज्ञ क्षेत्र में से प्रस्तावित विषय अभिप्रेत हैं;

(प) 'परीक्षा' से छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त एक प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(फ) 'श्रेणी' से एक अक्षर श्रेणी जो एक पाठ्यक्रम में एक छात्र के समग्र प्रदर्शन को इंगित करती हैं, अभिप्रेत है;

(ब) 'जूरी' से सेमेस्टर के दौरान और अंत में छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए संकाय या बाहरी विशेषज्ञों का एक पैनल, अभिप्रेत है;

(भ) 'संस्थान' से राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद अभिप्रेत है;

(म) 'छात्र' से तात्पर्य ऐसे छात्र से है जो किसी पूर्णकालिक स्नातकोत्तर या स्नातक या डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए पंजीकृत है और डाक्टोरल या स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातक उपाधि या डिप्लोमा करने के लिए पूर्णकालिक रूप से अध्ययन करेगा और जो संस्थान के पूर्णकालिक या अंशकालिक प्रमाणपत्र कार्यक्रम के लिए पंजीकृत है,

2. शब्द और पद जिनका प्रयोग यहाँ किया गया है और इन नियमों में परिभाषित नहीं है, लेकिन अधिनियम में या परिनियम परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम या परिनियम में हैं;

3. **अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम:** संस्थान बैचलर ऑफ डिज़ाइन (बी. डेस), मास्टर ऑफ डिज़ाइन (एम. डेस), डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डिप्लोमा, संस्थान के परिनियम (विनियम) में "संकाय स्ट्रीम" शीर्ष के अधीन निर्दिष्ट विभिन्न डिज़ाइन विधाओं में प्रमाण-पत्र को प्रदान करने के लिए अध्ययन पाठ्यक्रमों प्रदान करेगा।

IndiaCode

4. कार्यक्रमों की अवधि:

1. स्नातक कार्यक्रम (बी. डेस) की अवधि आठ सेमेस्टर होगी जिसमें 2 सेमेस्टर सामान्य आधार कार्यक्रम होंगे जिनके बाद छह सेमेस्टर संकाय स्ट्रीम या विशिष्ट विधाओं के होंगे, जिनमें से अंतिम सेमेस्टर में स्नातक परियोजना भी सम्मलित होगी।

2. स्नातकोत्तर कार्यक्रम (एम. डेस) की अवधि संकाय स्ट्रीम या विशिष्ट विधाओं में 5 सेमेस्टर होगी, जिनमें से अंतिम सेमेस्टर में स्नातक परियोजना सम्मिलित होगी।

5. संस्थान का शैक्षिक दर्शन:

5.(1) पाठयक्रम संरचना, पाठ्य विवरण और शिक्षण या शिक्षण कार्यक्रमों के लिए संस्थान द्वारा अपनाई गई सीखने की पद्धतियों में अन्य बातों के साथ-साथ बुद्धिपरक, तार्किक और सिद्धांत की क्रमिक अभिनव प्रक्रिया, बोधगम्य के लिए हस्त और बुद्धिपरक अनुसंधान व कुशलता, विश्लेषण तथा डिज़ाइन समस्याओं के लिए बहु समाधान के दृष्टिकोण का संयोजन। डिज़ाइन परियोजनाओं के लिए सदृश्य प्रकटन और क्षेत्र का अनुभव सम्मिलित है जिनका उद्देश्य निम्नलिखित जैसे विभिन्न शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है;

क. स्वतंत्र और समग्र रूप से सोचने की क्षमता विकसित करना;

ख. रचनात्मक अन्वेषण और प्रयोग के माध्यम से अभिनवीकरण एवं शिक्षण,

ग. सांस्कृतिक विविधता के लिए संवेदनशीलता और समझ विकसित करने के लिए,

घ. रचनात्मक समस्या को हल करने में परम सुख का विकास करना;

ड़. अनुभवात्मक शिक्षण के लिए अवसरों को एकीकृत करना,

च. अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सामरिक डिज़ाइन हस्तक्षेप के संदर्भ में पर्यावरण, तकनीकी और सामाजिक नीति संबंधी मुद्दों के साथ डिज़ाइन शिक्षण;

छ. जैव विविधता, संस्कृति और शिल्प में निहित अद्वितीय शक्तियों का उपयोग करना;

ज. डिज़ाइन आधारित अनुसंधान के लिए अवसर उत्पन्न करना,

झ. डिज़ाइन वृत्ति के लिए नेतृत्व प्रदान करना और

ञ. समाज के हित के लिए डिज़ाइन की उपयोगिता का प्रसार करना।

(2) संस्थान द्वारा प्रस्तावित सभी शिक्षण कार्यक्रमों को निम्नलिखित को शामिल करने के लिए सुदृढ़ किया जाएगा :

क. व्यवहार्य उत्पादों और सेवाओं के लिए संस्कृति अन्वरण हेतु डिज़ाइन के प्रति एक अंतःविषय दृष्टिकोण

ख. अनुभव के माध्यम से मजबूत कौशल आधार विकसित करना;

ग. संरचित इंटर्नशिप और डिज़ाइन परियोजनाओं के माध्यम से वास्तविक जीवन व्यावसायिक स्थितियों के लिए अवसर, डिज़ाइन की प्रक्रिया और विभिन्न डिज़ाइन विधाओं के अनुप्रयोग के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि;

घ. डिज़ाइन के सामाजिक और नैतिक आयाम के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना;

ड़. मूल्य आधारित और सामाजिक रूप से प्रासंगिक डिज़ाइन, और

IndiaCode

ङ. डिज़ाइन शिक्षा और व्यवहार में वैश्विक दृष्टिकोण,

(3) संस्थान के शिक्षण कार्यक्रम की समग्र संरचना सिद्धांत, कौशल, डिज़ाइन परियोजनाओं और क्षेत्र के अनुभवों का एक संयोजन होगा, और उद्योग और बाजार की आवश्यकता के बारे में आधार हितधारकों से, प्रतिक्रिया और कटिंग एज डिज़ाइन स्टूडियो, कौशल और अभिनव प्रयोगशालाओं, ज्ञान प्रबंधन केंद्र, और ऐसी अन्य संबंधित विश्व स्तरीय ढांचागत सुविधाएं प्राप्त होंगी,

6. संस्थान और संस्थान परिसरों में छात्रों का प्रवेश:

बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता

i. अभ्यर्थी जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा (10 + 2) या समतुल्य, किया हो वह बेचलर ऑफ डिज़ाइन (बी.डेस) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

ii. अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में बैठे हों और जिनका परिणाम प्रवेश के लिए आवेदन करते समय घोषित नहीं किया गया हो वे भी बेचलर ऑफ डिज़ाइन कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

परंतु यह ऐसे अभ्यर्थी यदि चयनित होते हैं तो उन्हें अनंतिम प्रवेश दिया जाएगा और उनके द्वारा संस्थान द्वारा यथानिर्धारित तारीख तक या उससे पूर्व पात्रता परीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, ऐसा न करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त माना जाएगा।

(2) i. **मास्टर ऑफ डिज़ाइन में प्रवेश के लिए पात्रता :**

संस्थान द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न मास्टर ऑफ डिज़ाइन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मापदंड सीने,ट द्वारा समय-समय पर यथा नियत संबंधित क्षेत्र से स्नातक उपाधि या समतुल्य होगी।

ii. अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में बैठे हों और जिनका परिणाम प्रवेश के लिए आवेदन करते समय घोषित नहीं किया गया हो, वे भी बैचलर ऑफ डिज़ाइन कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

7. प्रवेश प्रक्रिया:

(1).प्रवेश के लिए अधिसूचना

(i) शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रवेश के लिए अधिसूचना, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसे माध्यमों के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित की जाएगी तथा उसे संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) प्रवेश की अधिसूचना में शैक्षणिक कार्यक्रमों का ब्यौरा, प्रत्येक अध्ययन कार्यक्रम में सीटों की संख्या, कार्यक्रम की अवधि, प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता, आयु सीमा, प्रवेश परीक्षा केन्द्रों के स्थान तथा ऐसी अन्य सूचना होगी।

(iii) भावी छात्रों के संदर्भ के लिए संस्थान द्वारा प्रवेश विवरणिका सूचना भी उपलब्ध करायी जाएगी। विवरणिका में पाठ्यक्रम कार्यक्रम संरचना, प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड, आरक्षण नीति, विभिन्न श्रेणियों के तहत सीटों के आवंटन, कार्यक्रम की अवधि, प्रवेश-शुल्क रूपरेखा तथा अन्य संबंधित जानकारी होगी।

(2) **प्रवेश परीक्षा**

1 संस्थान द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा योग्यता के आधार पर बी. डेस. / एम. डेस पाठ्यक्रम प्रदान किया जाएगा। संस्थान सीनेट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए शासी परिषद के अनुमोदन से प्रशासनिक और संभार- तंत्र संबंधी प्रक्रियाएं अनुभवी और विश्वासनिय अभिकरण के माध्यम से निष्पादित कर सकेगा।

IndiaCode

8. **सीटों का आरक्षण:**

संस्थान, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भिन्न रूप में अशक्त अभ्यर्थियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में प्रासंगिक नियमों और विनियमों का पालन करेगा।

9. **विदेशी छात्रों का प्रवेश:**

अधिसंख्य आधार पर 15% सीटें, बी (डेस) और एम (डेस) अध्ययन कार्यक्रमों के लिए विदेशी राष्ट्रीयता के अभ्यर्थियों के लिए होंगी;

तथापि, बी.डेस./एम.डेस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विदेशी छात्रों द्वारा भी प्रवेश परीक्षा पास करना आवश्यक होगा।

10 **प्रवेश समिति और प्रवेश कक्ष:**

1. संस्थान में प्रवेश का विनियमन करने के लिए निवेशक द्वारा सभी कार्यक्रमों में हेतु प्रत्येक वर्ष प्रवेश समिति और प्रवेश कक्ष गठित की जाएगी।

2. प्रवेश समिति, प्रवेश परीक्षा के लिए मानदंडों एवं प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगी ।

3. प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं को प्रवेश प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

11. **छात्रों का नामांकन**

1. सभी छात्र जिनको संस्थान के किसी कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, उन्हें निर्धारित समय- सीमा में यथा अपेक्षित शैक्षणिक प्रमाण पत्र और दस्तावेजों को शैक्षणिक कार्यालय में जमा कराना होगा, ऐसा न करने पर अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा।

2. सभी छात्र जिनको संस्थान के किसी कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया है उन्हें निर्धारित समय- सीमा में अपेक्षित शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों का भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा।

3. लागू शुल्क और अन्य राशिका भुगतान करने पर सभी अनिवार्य दस्तावेज का सत्यापन करने के पश्चात संस्थान छात्र को एक नामांकन नंबर प्रदान करेगा।

4. उक्त नामांकन संख्या, संबंधित छात्र के संबंध में संस्थान सभी अभिलेखों में स्थायी संदर्भ संख्या होगी।

5. बी डेस, या एम. डेस कार्यक्रम के लिए प्रारंभिक पंजीकरण तारीख, आमतौर पर छात्र द्वारा औपचारिक रूप से शुल्क के भुगतान की तारीख होगी। इस तिथि को कार्यक्रम से संबंधित सभी कार्यों और प्रयोजनों के लिए ज्वाएनिंग तारीख माना जाएगा।

6. संस्थान के अनुशासनात्मक नियमों के अनुसार किसी छात्र के नामांकन को अनुशासनात्मक आधार पर समाप्त किया जा सकता है।

12. **शिक्षण और अन्य शुल्क तथा जमा**

विभिन्न कार्यक्रमों के छात्रों से लिए जाने वाले शैक्षिक शुल्क, अन्य शुल्क तथा जमा (मैस प्रभार को छोड़कर) जो सभी छात्रों द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष या सेमेस्टर के आरंभ में देय हैं, के संबंध में शासी परिषद द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

IndiaCode

13. **छात्रों के लिए उपस्थिति, अनुपस्थिति और अवकाश:**

1. प्रत्येक छात्र की सभी व्याख्यान, ट्यूटोरियल; स्टूडियो कार्य; कार्यशाला अभ्यास सत्रों; फील्ड वर्क; सेमिनार और इस तरह के अन्य इंटरफेस में न्यूनतम उपस्थिति अपेक्षित होगी। जिसका समय-समय पर संस्थान की अकादमिक सलाहकार समिति द्वारा निर्धारण किया जाएगा।

2 चिकित्सा कारणों को छोड़ कर अन्य किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति के लिए अनुशासन प्रमुख से अग्रिम अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

3 केवल ऐसे छात्र जो स्वीकृत छुट्टी सहित न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति को पूरा करते हैं, सेमेस्टर अंत जूरी के लिए पात्र होंगे।

14. **छात्र अनुशासन:**

1. सभी छात्रों को संस्थान के भीतर एवं बाहर अनुशासन का पालन करते हुए मर्यादा बनाये रखना आवश्यक है, और वे ऐसी गतिविधियों जो संस्थान को बदनाम कर सकती हैं, में नहीं होंगे लिप्त।

2. प्रत्येक छात्र द्वारा शैक्षणिक मैनुअल में निहित आचार संहिता का पालन किया जाएगा।

3. किसी छात्र द्वारा अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य के लिए, मानदंडों और प्रक्रिया से संबंधित मैनुअल / पुस्तिका में निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

15. **शैक्षणिक कैलेंडर:**

संस्थान परिसरों के डीन और अनुशासन प्रमुखों के परामर्श से गतिविधि अध्यक्ष (शिक्षा) और डीन, अहमदाबाद कैम्पस द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले शिक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रमों के शैक्षिक कैलेंडर को अंतिम रूप दिया जाएगा।

16. **फाउंडेशन कार्यक्रम:**

1 बी. डेस. कार्यक्रम, सभी छात्रों के लिए समान फाउंडेशन कार्यक्रम के साथ शुरू होगा।

2 फाउंडेशन कार्यक्रम में विशेष तौर पर छात्रों को आवश्यक दिशा प्रदान करने, सुविधाओं और अनुभव तथा रचनात्मकता एवं डिजाइन सोचने को बढ़ावा देने पर बल दिया जाएगा।

3 बी. डेस के छात्रों को सामान्य फाउंडेशन कार्यक्रम के अंत में विषय का आंवटन, उनकी योग्यता के आधार पर प्रत्येक विधा की निर्धारित सीटों के अनुसार किया जाएगा।

17. **छात्रों के रिकार्ड का रखरखाव:**

(1) संस्थान के सभी परिसरों के रजिस्ट्रार कार्यालय में संबंधित परिसरों में दाखिला लिए सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों के छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी रखी जाएगी एवं उसे गोपनीय रखा जाएगा। व्यक्तिगत फाइल में निम्नलिखित उपलब्ध होंगे ;

i) प्रवेश के समय छात्र द्वारा भरे व्यक्तिगत डेटा,

ii) माता-पिता और स्थानीय अभिभावक के बारे में जानकारी,

iii) प्रवेश के समय प्रस्तुत की गई चिकित्सीय जानकारी और फिटनेस प्रमाण-पत्र,

iv) छात्र द्वारा प्रस्तुत की गई सभी वचन प्रतिज्ञा,

v) छात्र को जारी किए गए किसी चेतावनी-पत्र या ज्ञापन आदि की प्रति,

vi) छात्र / पिता / अभिभावक के साथ पत्राचार, यदि कोई हो

vii) सभी मूल्यांकन ग्रेड शीट्स और छात्रों को जारी शैक्षणिक प्रगति रिपोर्ट की प्रति,

viii) फीस के भुगतान सहित छात्रावास में प्रवेश के रिकार्ड, और

ix) संस्थान की फीस के भुगतान का रिकार्ड और छात्रों के अध्ययन एवं कैम्पस लाइफ से संबंधित के अन्य सभी जानकारी।

18. **परीक्षाओं का संचालन :**

(1) जूरी द्वारा संचालित सेमेस्टर के दौरान और अंत में, छात्रों के लिए संस्थान में क्रेडिट आधारित मूल्यांकन और मूल्यांकन प्रणाली निम्नानुसार की व्यवस्था की जाएगी;

i) क्रेडिट्स आधारित मूल्यांकन प्रणाली जिसमें क्रेडिट इकाइयों के बीच में संबंध, सप्ताह इकाइयों और साप्ताहिक घंटों के आधार पर समरूपी अध्ययन का भार शामिल हैं,

ii) अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम को क्रेडिट सौंपा गया है,

iii) सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिए सौंपा गया क्रेडिट;

iv) ग्रेडिंग स्केल सहित ग्रेडिंग प्रणाली,

v) शोध और जूरी सहित शैक्षणिक मूल्यांकन के घटक,

vi) मानक और मूल्यांकन एवं आकलन, चरण अर्थात अलग-अलग पाठ्यक्रम मूल्यांकन, सेमेस्टर के अंत में जूरी मूल्यांकन और डिज़ाइन परियोजना मूल्यांकन;

vii) अगले सेमेस्टर / वर्ष के लिए प्रोन्नति छात्र संबंधी पूर्व अपेक्षांए,

viii) संस्थान द्वारा निर्धारित इस तरह के अन्य नियम / दिशा-निर्देशों;

(2) अध्ययन के एक कार्यक्रम के सफल समापन के लिए, प्रत्येक छात्र को वैयक्तिक पाठ्यक्रम स्तर पर क्रेडिट आवश्यकताओं और मूल्यांकन संबंधी आवश्यकताओं सेमेस्टर के अंत में जूरी स्तर और स्नातक स्तर की परियोजना स्तर पर पूरा करना आवश्यक होगा।

(3) इन अध्यादेशों की अधिसूचना की तिथि की स्थिति के अनुसार संस्थान में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए लागू क्रेडिट और मूल्यांकन मानदंड, क्रमश: बी. डेस और एम.डेस. कार्यक्रमों के अंतर्गत मूल्यांकन के लिए वैश रहेंगे।

तथापि, क्रेडिट और मूल्यांकन मानदंडों के लिए किसी भी संशोधन को सीनेट द्वारा समय-समय पर शैक्षणिक सलाहकार समिति की सिफारिश पर अनुमोदित किया जा सकेगा।

19. **स्नातक डिज़ाइन परियोजना:**

प्रत्येक छात्र द्वारा एक डिज़ाइन परियोजना कार्य और संबंधित कार्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर में डिज़ाइन के स्वतंत्र कर्ता के रूप में विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया जाएगा।

IndiaCode

20. **शैक्षणिक शिकायत निवारण समिति:**

(1) शिक्षण से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए निदेशक द्वारा शैक्षणिक मामलों से संबंधित निवारण समिति का गठन समिति में संकायों और अधिकारियों में से चार सदस्य होंगे. उनमें से किसी एक को निदेशक, अध्यक्ष के रूप में नामांकित करेंगे।

समिति के कुल सदस्यों में से तीन सदस्य निदेशक द्वारा संकाय से नामांकित होंगे;

परन्तु ऐसे संकाय सदस्य जिनके विरूद्ध कोई शिकायत होगी, उन्हें समिति के एक सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा।

(2) उपखंड (i) में किसी बात के होते हुए, शैक्षणिक मामलों से संबंधित किसी भी शिकायत को प्रथमत: गतिविधि अध्यक्ष (शिक्षा) को प्रस्तुत किया जाएगा जो संबंधित अनुशासन अध्यक्ष या संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके शिकायत को हल करेगा, समाधान न होने पर शिकायत को शिकायत समिति को सौंपा जाएगा।

3. शिकायत निवारण समिति गतिविधि अध्यक्ष (शिक्षा) को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी।

4. शिकायत निवारण प्रक्रिया के परिणामों के संबंध में संबंधित छात्र को शिकायत दर्ज करने के तीस दिन के भीतर सूचित किया जाएगा।

21. **आपात मामले:**

इस अध्यादेश में किसी बात के होते हुए, निदेशक द्वारा, आकस्मिक शैक्षणिक स्थितियों में, सीनेट या शैक्षणिक सलाहकार समिति की ओर से अपने विवेकानुसार उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है। कार्रवाई की जा सकती है और उसे संबंधित सांस्थानिक प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रद्युम्न व्यास निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान

[विज्ञापन–III / 4 / असाधारण / 367 / 16]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD

NOTIFICATION

ORDINANCE

Ahmedabad, the 4th January, 2017

No. Senate – 12/08/2016.—In exercise of the powers vested under section 30 read with section 31 of the National Institute of Design Act 2014, the Senate of the Institute had resolved and made following ordinance for the National Institute of Design, Ahmedabad namely :-

1. **Short title and commencement:**1) These Ordinances may be called the National Institute of Design Ordinances 2016.

 2) These Ordinances shall be deemed to come in to force from the 12th August 2016 i.e. date of resolution passed in the Senate meeting.

2. **Definitions:** In these ordinances, unless the context otherwise requires-

 1. (a) 'Act' means the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014);
 (b) 'academic' means the activities concerned with teaching, studies, practicesand research;

(c) 'academiccalendar' includes dates for various academic activities;

(d) 'academicmanual' means the compilation of rules and regulations in Academic matters;

(e) 'academicprogramme' includes the sequence of academic activities leading to a degree, a diploma or a certificate;

(f) 'academicyear' means two regular semester along with a summer break;

(g) 'candidate' means an individual who applies for admission to any undergraduate, postgraduate, doctoral, diploma or certificate programme of the Institute;

(h) 'certificate' means any academic programme offered by the Institute up to one year duration as may be approved by the Senate;

(i) 'convocation' means the convocation of the Institute;

(j) 'course' includes a sequence of topics which can be covered during a semester;

(k) 'curriculum of a programme' means a prescribed set of courses and other academic activities;

(l) 'degree' means the Bachelor of Design, Master of Design and such other degree of the institute as may be approved by the Council;

(m) 'elective' means the subject offered amongst options in specialised field;

(n) 'examination' means any procedure used to evaluate the academic performance of a student;

(o) 'grade' means a letter grade indicating the overall performance of a student in a course;

(p) 'jury' means a panel of faculty or external experts for evaluation of performance of students during and at the end of semester;

(q) 'student' means a student registered for any postgraduate or undergraduate or Diploma Programme for full time study leading to the Doctoral or Master's Degree or Bachelor's degree or Diploma as the case may be and shall also include a student registered for full time or part time certificate programme of the Institute;

2. Words and expressions used and not defined in these ordinances but definedin the Act or the statutes shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the Statutes;

3. Courses of Study - The Institute shall offer courses of study leading to the award ofBachelor of Design (B.Des); Master of Design (M.Des); Ph.D, Diploma, Certificate in various Design disciplines mentioned under heading "Faculty Streams" of National Institute of Design Statutes.

4. Duration of Programmes – (1) The duration of Undergraduate Programmes (B.Des.) shall be eight semesters that commences with two semesters common foundation programme followed by six semesters in Faculty Streams or specialised disciplines, out of which the last semester shall include graduation project.

(2) The duration of Postgraduate Programmes (M.Des.) shall be five semesters inFaculty Streamsorspecialised disciplines, out of which the last semester shall include graduation project.

5. Educational Philosophy of the Institute – (1) The curricular structure, syllabus and teaching or learning methodologies adopted by the Institute for all teaching programmes shall inter alia include a combination of rational, logical and sequential innovative process of theory, research and skills with emphasis on hands on and minds on approach to perception, analysis, and visualisation of multiple solutions for design problems, live exposure to design projects and field experience, aimed at meeting various academic objectives such as to -

(a) inculcate the ability to think independently and holistically;

(b) innovate and learn through creative explorationand experimentation;

(c) develop sensitivity to and understanding of cultural diversity;

(d) develop felicity in creative problem solving;

IndiaCode

(e) integrate opportunities for experiential learning;

(f) reinforce and integrate design learning with environmental, technological and social policy issues for strategic design intervention in all fields of the economy;

(g) capitalise on the unique strengths in biodiversity, culture and crafts;

(h) generate opportunities for design based research;

(i) provide leadership to design profession; and

(j) spread the power of design for the benefit of the society;

(2) All teaching programmes offered by the Institute shall be oriented to incorporate -

(a) an interdisciplinary approach to design for transferring culture to viable products and services;

(b) strong skill base through hands-on experience;

(c) exposure to real life professional situations through structured internship anddesign projects to provide competitive edge to products and services through design process and application of various design disciplines;

(d) awareness of social and ethical dimensions of design;

(e) value-based and socially relevant design, and

(f) global perspectives in design education and practice;

(3) The overall structure of the Institute's teaching programme shall be a combination of theory, skills, design projects and field experiences, and stakeholders feedback on industry and market needs, and supported by cutting edge design studios, skill and innovation labs, and the Knowledge Management Centre, and such other related infrastructural facilities.

6. Admission of the students to the Institute and Institute Campuses: (1) Eligibility for admission to Bachelor of DesignProgrammes -

(i) Candidates who have passed Higher Secondary Certificate Examination (10+2) from a recognised Board shall be eligible to apply for admission to the Bachelor of Design programmes.

(ii) Candidates who have appeared for the qualifying examination and whose results have not been declared at the time of application for admission shall also be eligible to apply for admission to the Bachelor of Design programmes :

provided that such candidates shall, if selected, be granted provisional admission and shall be required to submit the result of the qualifying examination on or before the date as may be specified by the Institute, failing which the candidate's admission shall stand cancelled.

(2) Eligibility for admission to Master of Design Programmes -

(i) The eligibility criteria to apply for admission to the various Master of Designprogrammes offered by the Institute shall be Bachelor's Degree or equivalent in the relevant field as stipulated by the Senate and the Institute from time to time.

(ii) Candidates who have appeared for the qualifying examination and whose results have not been declared at the time of application for admission to the Master of Designprogramme shall also be eligible to apply for admission to the Master of Design programme :

provided, however, that such candidates shall, if selected, be granted provisional admission and shall be required to submit the result of the qualifying examination on or before the date as may be specified by the Institute, failing which the candidate's admission shall stand cancelled.

7. Admission Process- (1) Admission Notification -

(i) Admissions to the academic programmes shall be notified at the national level through print, electronic media and such other media, as well as on the website of the Institute.

(ii) The notification for admission shall include details of academic programmes, number of seats in each courses of study programme, duration of the programmes, minimum eligibility for admission, age limits, venues for the admission test centers and such other information.

(iii) The Institute shall also make available admissions brochure information for reference of the prospective students,such brochures shall contain all information related to course programme

structure, eligibility criteria for admission, reservation policy, allocation of seats under various categories, duration of the programme, fees structure and such other information.

(2) Admission Test- (i) Admissions to the B. Des or M. Des courses shall be granted on the basis of merit at the national level admission test to be conducted by the Institute. The Institute may outsource admissions related administrative and logistics. processes through experienced and trust-worthy agency selected through the process laid down by the Senate by following fair and transparent procedures and with approval of the Council.

8 **Reservation of Seats** - The Institute shall follow relevant rules and regulations with respect to reservation of seats for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, differently-abled candidates,and other special categories of persons as notified by the Government of India from time to time for Institutions of National Importance.

9 **Admission to Foreign Students**- 15 percent seats on supernumerary basis in B. Des and M. Des. Programmes of studies shall be provided for candidates of foreign nationality :

provided that foreign students applying for admission to the B. Des or M. Des programmes shall also be required to clear the admission test.

10 **Admission Committee and Admission Cell** - (1)The admission committee and the admission cell shall be duly constituted by the Director.

(2) The admissions committee shall lay down the norms andprocedures for the admission tests.

(3) The norms, procedures and the criteria lay down by the admissions committee shall be implemented by the admission cell.

11. **Enrolment of students –** (1)Every student offered admission to a programme at the Institute shall submit to the academic office of the Institute within the stipulated time frame, such academic certificates and documents as may be required, failing which their candidature stands cancelled.

(2) Every student offered admission shall pay the tuition and other fees and deposits as notified by the Institute, within the stipulated time frame, failing which their candidature stands cancelled.

(3) Upon payment of fees and deposits and upon verification and submission of all mandatory documents, the Institute shall provide an Enrolment Number to the student.

(4) The Enrolment Number shall be the permanent reference number in all records ofthe Institute pertaining to the student concerned.

(5) The date of initial registration for B. Des.orM.Des.programme shall normally be the date on which the student formally registers for the respective course upon payment of fees. This date shall be construed as the date of joining the programme for all intents and purposes.

(6) The enrolment of a student may be terminated on disciplinary grounds, in accordance with the disciplinary rules of the Institute.

12. **Tuition and Other Fees and Deposits** - The prescribed tuition fees, other fees and deposits,except mess charges, as approved by the Governing Council, shall be payable by all students at the beginning of each academic year or semester as notified by the Institute.

13. **Attendance, Absence and Leave for the students** - (1) A student shall be required to have minimum attendance at all lectures; tutorials;studio work; workshop practice sessions; field work; seminars and such other interfaces as may be determined by the Academic Advisory Committee of the Institute from time to time.

(2) Any leave or absence other than for medical reasons shall require prior approvalof the Discipline Lead.

(3) Only such students who fulfill the minimum required attendance including approved leave of absence, if any, shall be eligible to appear for semester end Jury.

14. **Students Disciplines**- (1) Every student shall observe discipline and maintain decorum both inside and outside the campus and shall not indulge in any activity which may bring disrepute to the Institute.

(2) Every student shall observe the code of conduct as stipulated in the Academic Manual.

(3) Any act of indiscipline committed by a student shall be dealt with in accordance with the norms and procedure stipulated in the respective manuals or handbook.

15. **Academic Calendar** -The Activity Chairperson (Education) and Dean Ahmedabad Campus, in consultation with the Deans of the Institute Campuses and the Discipline Leads, shall prepare and finalise the Academic Calendar of teaching and research programmes at the Institute and its campuses prior to beginning of each academic year.

16. **The Foundation Programme –** (1) The B. Des.programme shall commence with a one year common Foundation Programme.

(2) The Foundation Programmeshallprovide the necessary direction, stimuli, facilities and experience to foster creativity and design thinking.

(3) Allocation of discipline choice of student for the B.Des. Courses at the end of the common Foundation Programme shall be based on merit-cum-choice basis, for the number of seats prescribed in each discipline.

17. **Maintenance of Student Records –** (1) The Registrar Office of the Institute and its campuses shall maintain a personal file of every student admitted to the academic programmes at the respective campuses and such personal information shall be kept confidential. The personal file shall contain -

(i) Personal data filled by the student at the time of admission;

(ii) Information about parents and local guardian;

(iii) medical history and fitness certificate submitted at the time of admission;

(iv) all undertakings submitted by the student;

(v) copy of any warning letters or memos etc. issued to the student;

(vi) communication with the student or parent or guardian, if any;

(vii) copy of all evaluation grade sheets and academic progress reportsissued to the students;

(viii) record of admission to the hostel including payment of fees; and

(ix) record of payment of fees of institute and all such other information relevant to the study and campus life of the students.

IndiaCode

18. **Conduct of Examinations-** (1) The Institute shall have credit based evaluation and assessment system, for the students during and at the end of semester conducted by the Jury as under -

(i) credits based evaluation system including correlation between credit units, week units and the corresponding study load in terms of hours per week;

(ii) credits assigned to each course of study;

(iii) credits assigned for co-curricular and extra-curricular activities;

(iv) grading system including grading scales;

(v) components of academic evaluation including coursework and jury;

(vi) parameters and stages of evaluation and assessment, viz., individual course evaluation, semester-end jury assessment, and Design Project assessment;

(vii) pre-requisites governing advancement of a student to the next semester or year; and

(viii) such other rules or guidelines as may be notified by the Institute;

(2) For successful completion of a programme of study, a student shall be required to fulfill credit requirements andevaluation requirements at individual course level, semester-end Jury level and Graduation Project level.

(3) The credits and evaluation norms applicable for undergraduate and postgraduate programmes at the Institute as on the date of notification of these Ordinances shall remain valid for purpose of evaluation under the B. Des and M. Des programmes respectively:

Provided that,any amendment to the credits and evaluation norms shall be approved by the Senate from time to time upon recommendation of the Academic Advisory Committee and shall be notified accordingly.

19. **Graduation Design Project** - Each student shall undertake a Design Project and demonstrate expertise as independent practitioner of design in the last semester of the respective programme.

20. **Academic GrievancesRedressal Committee–**(1) The Director shall appoint Academic Grievances Redressal Committee to address grievances relating to academic matters. The Committee shall comprise at least three members of the faculty to be nominated by the Director :

provided, that a faculty member against whom a grievance is made shall not be nominated as a member of such Committee.

(2) Notwithstanding the aforesaid provisions, any grievance related to academic matters shall first be submitted to the Activity Chairperson (Education), who shall resolve the grievance in consultation with the Discipline Lead concerned or the authorities concerned, failing which the grievance shall be addressed to the Grievances RedressalCommittee.

(3) The Grievances RedressalCommitteeshallsubmit its recommendations to the Activity Chairperson-Education.

(4) The outcome of the GrievancesRedressal Process shall be communicated to the student concerned within a month of filing of the grievance.

21. **Emergent Cases:**Notwithstanding anything contained in the above Ordinances, the Director may, in emergent academic situations, take such decision and action on behalf of the Senate or the Academic Advisory Committee, as deems appropriate and report it at the next meeting of the institutional authority concerned.

PRADYUMNA VYAS, Director, NID

[ADVT.-III/4/Exty./367/16]

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.01.07 10:11:16 +05'30'